अभ्यर्थी का शपथ पत्र (१० रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) समक्ष प्रधानाचार्य,स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।

1—मैबैच—2024—25 स्वशासी
राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी,का छात्र हूँ। मैने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान
पूर्वक पढ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों
में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम—2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा ध्यान से पढ़ लिया है।
2—मैनें मुख्य रुप से विनियम 3 को पढ एवं समझ लिया है, और मैं यह जानता / जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने है।
3-मैने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया है अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता हूँ
या किसी तरह की रैगिंग में संलिप्त पाया जाता हूं तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4— मैं निश्चित ही यह प्रयत्न करुगॉ / करूँगी कि —
क—मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है,में संलप्ति नहीं हूँगा/हूँगीं।
ख—मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हूँगा / हूँगी जो रैगिंग की धारा 3 विनियम के अन्तर्गत आती हो।
ग— मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में संलिप्त नहीं हूंगा/हूंगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार
नहीं करुगां / करुंगी।
5—मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी तो मुझे
विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक
गतिविधयों में मेरे विरुध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6—मैं यह भी घोषित करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध
नहीं लगाया गया है और यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
दिनाँक
शपथी के हस्ताक्षर
नाम:
119
पता:
पता:
पताः—
पता:
पता:
पता:  स्टेट रैंक: मो० नंo:-
पता:
पता:
पताः—
पता:
पता:
पताः—स्टेट रैंकः—सो० नं०:—सो० नं०:—
पताः—सेठ रैंकः— मो० नं०ः— सत्यापन मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में धारा 1 से 6 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी भी तरह के तथ्य को नही छिपाया गया और न ही गलत बयान दिया गया है।

शपथ आयुक्त

# पिता / अभिभावक का शपथ—पत्र (10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।

1- श्री/श्रीमती/सुश्री	पुत्र / पत्नी
निवासी एन०ई०ई०टी०—2024—25 रोल नंम्बर	का पुत्र/पुत्री
एन०ई०ई०टी०—2024—25 रोल नंम्बरखिरा सम्बन्धित नि खीरी में प्रवेश लिया है। मैने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित नि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम—2009 में उ समझ लिया है।	ार्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च
2— भैनें मुख्य रुप से विनियम 3 को पढएवं समक्ष लिया मायने हैं।	
3— मैने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया उप्रत्यक्ष रुप में अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दो उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में संलप्ति पार दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है। 4— मैं शपथ पूर्वक यह सुनिश्चित करता हूँ कि :—	थी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए
क— मेरा पुत्र / पुत्री किसी तरह के रैगिंग, जो कि धारा 3 ख— मैं अपने पुत्र / पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधि में १	
धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो। 5— मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/ तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिय अंतर्गत आपराधिक गति – विधयों में मेरे पुत्र/पुत्री के प्रितिवंध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र पुत्री को ऐसे	ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के वेरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में
निरस्त किया जा सकता है।	
	शपथी के हस्ताक्षर नाम
	पता
	दूरभाष नं0
सत्याप मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि श् गलत नहीं। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही f	
	शपथी के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थित में शपथ पत्र में वि के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।	देनाँक को दिये गए तथ्य को पढने

शपथ आयुक्त.

## शपथ पत्र

### ( 10 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र ) समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,लखीमपुर खीरी।

एत्दद्वारा मैं	
एन0ई0ई0टी0-2024-25 रोल नं0	पुत्र / पुत्री निवासी
	शपथ पूवर्क घोषणा करता / करती हूँ कि स्वशासी राज्य चिकित्सा
	)बी0बी0एस0 में प्रवेश लेने हेतु मुझे निम्नलिखित सभी शर्तें व
	किसी शर्त या नियम का पालन करने में असमर्थ रहा / रही तो
	कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके
	कार्यवाही नहीं करुँगा / करूँगी तथा न ही किसी अदालत का
	किसी प्रकार का राजनीतिक दवाव डलवाने की कोशिश
करुँगा / करूँगी।	•
1—में साधारणतः छात्र जीवनव्यतीत	ा करते हुए पूर्ण रुप से अनुशासित रहकर अध्ययन
	वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करुगा / करूँगी।
A STATE OF THE STA	प्रकिया, किसी प्रकार की अवैधानिक हड़ताल आदि में
प्रतिभाग नहीं करूँगी/करूँगा	ĺ
3-मैं अपने शिक्षकों, सम्बंधित कर्मः	वारियों तथा कालेज के अन्य व्यक्तियों, तथा साथियों से
सदैव सद्भावना का व्यवहार व	oरुँगा / करूँगी ।
4-कालेज परिसर में अथवा छात्राव	गस में रहते हुए किसी प्रकार का असंगत वातावरण नहीं
बनाऊंगा, तथा पूर्ण नशाबन्दी व	अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विश्वास रखूँगा।
5-मैनें अपनी इन्टरमीडिएट परीक्षा	वर्षमें उत्तीर्ण की है इसके पश्चात् वर्ष
सेतक	अध्ययन किया है/अध्य्यन नहीं किया
है।	
	चेकित्सा महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के किसी भी
पाठ्यकम में अध्ययनरत नहीं	हूं। यदि यह पाया जाये कि में किसी अन्य चिकित्स
महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्या	लय के अन्य किसी पाठकम में अध्ययनरत हूँ तो मेर
एम०बी०बी०एस० २०२४-२५ में प्रवेश	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	से सम्बन्धित मेरे द्वारा कोई याचिकालम्बित नहीं है।
	ग एक इंजेक्शन लगवा लिया है जिसका प्रमाण पत्र जमा कर
	नहीं लगवाया है। मैं इजेंक्शन लगवा रहा हूँ तथा अन्य दो
डोज में निर्धारित समय पर अवश्य	
	सन्दर्भ में मेरे द्वारा दी ग्यी सूचना/विवरण/जमा किये गये
	असत्य पाई जाये तो मुझे दोषी मानते हुए मेरा प्रवेश निरस्त
कर दिया जाये।	V 0
	करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की धारा 01 से 09 तक मेरे
	ह है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसकी तसदीक
आज दिनॉकःको	का गया।

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO
SESSION
THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT
ON THIS DAY OF
BETWEEN
NAME:
S/O, D/O, W/O
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS):
(TEMPORARY ADDRESS):
MOBILE NO:
E-mail ID:
AADHAR NO
Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part
AND
Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.
WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission tocourse and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than Two year after successful completion of thecourse. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of <b>Two year</b> the FIRST PART shall forthwith pay a sum of <b>Rs.10 Lacs</b> for degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PART shall be paid stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of thecourse. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released: AND

thecourse will not	T PARTY has also agreed that on successful completion ofcourse his/her certificates relating to be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY the Government for a period of Two year or pay to the
Government on dema	and the sum of Rs(Rupees) only.
FIRST PARTY shall be Government as per a the Government have asgrateffect from	fails to deposit the aforesaid amount in specified period, be liable to pay interest at the rates specified by the oplicable law during the period of delay: AND WHEREAS, at the request of the FIRST PARTYemployed need stipend to him/her for a period of 24 months within order to enable his/her to study at
	Super specialty course DM/MCH/
MBBS/BDS Course, t FIRST PARTY amount of Rs	te Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree he proportionate amount will be treated as stipend and theshall pay back in addition to the security(Rupees
shall in all respects be	balance amount of stipend to the Government. This bond be governed by the Laws of India, for the time being in force, bilities shall, where necessary, be accordingly determined urts in India.
NOW THIS DEED OF	AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-
Two year on such speciality course MD/MS/Diploma PARTY fails to see PARTY shall pa	RTY has agreed to serve the Government for a period of ccessful completion of theSuper e DM/MCH/Post Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST serve the Government for a period of Two year, FIRST by forthwith a sum of Rs(Rupees) to the Government in the specified Government.
of Two year ser	RTY agrees that till the successful completion of the period vice to the Government or till the payment of Rs only is paid the ing to Super speciality Course DM/MCH Graduate Degree MD/MS/ Diploma MDS Graduate
	BDS course shall be in the custody of the Concerned

.

- Institution/University/College and the Government has a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
- 3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared discharged.
- 4- This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
- 5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
- 6- The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of	For and behalf of	f
FIRST PARTY	Governor	
(	( .	)

Witnesses:-